न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/610

1. अभय किशोर पुत्र कौशल किशोर उर्फ ग्यारसीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गिरजेश कुमारी पत्नी अभय किशोर आयु 61 वर्ष ।
   1/2. चन्दारानी पुत्री अभयकिशोर आयु 39 वर्ष ।
   1/3. शोभारानी पुत्री अभयकिशोर आयु 37 वर्ष ।
   1/4. कविता रानी पुत्री अभयकिशोर आयु 30 वर्ष ।
   1/5. नमो दुगे पुत्र अभयकिशोर आयु 27 वर्ष ।
   1/6. अजय किशोर पुत्र अभय किशोर आयु 24 वर्ष निवासीगण 6 एफ–31 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।
2. आनन्द किशोर आत्मज कौशल किशोन उर्फ ग्यारसीलाल ।
3. नारायण किशोर आत्मज कौशल किशोर उर्फ ग्यारसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन जिला बून्दी ।
4. कृष्ण किशोर आत्मज श्री कौशल किशोर उर्फ ग्यारसीलाल (मृतक) जरिये का0 मु0 :–
   4/1. श्रीमती उषा दुबे बेवा कृष्ण किशोर ।
   4/2. किशवकान्त पुत्र कृष्ण किशोर ।
   4/3. सुनीता पुत्री कृष्ण किशोर ।
   4/4. उमा पुत्री कृष्ण किशोर ।
   4/5. लक्ष्मी पुत्री कृष्ण किशोर जाति ब्राह्मण निवासीगण कापरेन जिला बून्दी हाल निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती इन्दारानी पुत्री कौशल किशोर पत्नी भूपेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवाी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर ।
6. श्रीमती गिरजी रानी पुत्री कौशल किशोर पत्नी शिवकान्त पाण्डेय जाति ब्राह्मण निवासी बड नगर तहसील खाचरोद जिला उज्जैन (म0 प्र0) ।
7. श्रीमती पुष्पा देवी धिवा शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण निवाी तालेडा जिला बून्दी ।
8. निधी रानी पुत्री शम्भू किशोर पत्नी राजीव चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी कोटा ।
9. रिंकी रानी उर्फ प्रतिभा दुबे पुत्री शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण ।
10. प्रीति रानी पुत्री शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण ।
11. गणेश किशोर पुत्र शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण ।
12. राजेश पुत्र शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण निवासीगण तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर आत्मज श्री अमरा जाति नाई निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भंवरी बाठ बेवा लटूर जाति सैन ।
   1/2. नरेन्द्र आत्मज लटूर जाति सैन ।

1/3. महेश कुमार आत्मज लटूर जाति सैन ।
1/4. भगवान आत्मज लटूर जाति सैन ।
1/5. प्रमिला पुत्री लटूर जाति सैन जाति नाई निवीस हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. पार्वती बेवा आत्मज श्री अमरा जी जाति नाई निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
2/1. बद्रीबाई पुत्री अमरा जी पत्नी मूलचन्द्र जी जाति नाई निवासी चरडाना जिला बून्दी
3. श्रीमती औंकारी बाई उर्फ काली बाई विधवा रामकिशन ।
4. रामदयाल आत्मज रामकिशन ।
5. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन ।
6. कमलेश आत्मज रामकिशन ।
7. कन्हैया लाल आत्मज रामकिशन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
7/1. सरवन कुमार पुत्र कन्हैया लाल ।
7/2. सागर पुत्र कन्हैया लाल ।
7/3. सुनीता पत्नी कन्हैया लाल ।
8. बिरधी लाल आत्मज श्री रामकिशन ।
9. किशकिंदा बाई पुत्री रामकिशन ।
10. विष्णु बाई पुत्री रामकिशन जाति नाई निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/611

1. अभय किशोर पुत्र कौशल किशोर उर्फ ग्यारसीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
1/1. गिरजेश कुमारी पत्नी अभय किशोर आयु 61 वर्ष ।
1/2. चन्दारानी पुत्री अभयकिशोर आयु 39 वर्ष ।
1/3. शोभारानी पुत्री अभयकिशोर आयु 37 वर्ष ।
1/4. कविता रानी पुत्री अभयकिशोर आयु 30 वर्ष ।
1/5. नमो दुगे पुत्र अभयकिशोर आयु 27 वर्ष ।
1/6. अजय किशोर पुत्र अभय किशोर आयु 24 वर्ष निवासीगण 6 एफ–31 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।
2. शम्भू किशोर आत्मज श्री कौशल किशोर (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
2/1. श्रीमती पुष्पा देवी धिवा शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण निवी तालेडा जिला बून्दी ।
2/2. निधी रानी पुत्री शम्भू किशोर पत्नी राजीव चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी कोटा ।
2/3. रिंकी रानी उर्फ प्रतिभा दुबे पुत्री शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण ।
2/4. प्रीति रानी पुत्री शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण ।
2/5. गणेश किशोर पुत्र शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण ।
2/6. राजेश पुत्र शम्भू किशोर जाति ब्राह्मण निवासीगण तालेडा जिला बून्दी ।
3. आनन्द किशोर आत्मज कौशल किशोन उर्फ ग्यारसीलाल ।
4. नारायण किशोर आत्मज कौशल किशोर उर्फ ग्यारसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर आत्मज श्री अमरा जाति नाई निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भंवरी बार्ठ बेवा लटूर जाति सैन ।
   1/2. नरेन्द्र आत्मज लटूर जाति सैन ।
   1/3. महेश कुमार आत्मज लटूर जाति सैन ।
   1/4. भगवान आत्मज लटूर जाति सैन ।
   1/5. प्रमिला पुत्री लटूर जाति सैन जाति नाई निवीस हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. पार्वती बेवा आत्मज श्री अमरा जी जाति नाई निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. बद्रीबाई पुत्री अमरा जी पत्नी मूलचन्द्र जी जाति नाई निवासी चरडाना जिला बून्दी ।
3. रामकिशन आत्मज शंकर जाति नाई निवासी हिंगोनिया (मृतक) जरिये कायमुकामान :–
   3/1. श्रीमती काली बाई विधवा रामकिशन ।
   3/2. रामदयाल आत्मज रामकिशन ।
   3/3. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन ।
   3/4. कमलेश आत्मज रामकिशन ।
   3/5. कन्हैया लाल आत्मज रामकिशन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/5/1. सरवन कुमार पुत्र कन्हैया लाल ।
   3/5/2. सागर पुत्र कन्हैया लाल ।
   3/5/3. सुनीता पत्नी कन्हैया लाल ।
   3/6. बिरधी लाल आत्मज श्री रामकिशन ।
   3/7. किशकिंदा बाई पुत्री रामकिशन ।
   3/8. विष्णु बाई पुत्री रामकिशन जाति नाई निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 21.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 मृतक लटूर, मृतक पार्वती एवं मृतक रामकिशन ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 156/97 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 544 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार वादीगण हैं ओर वे काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि राहिन कौशल किशोर उर्फ ग्यारसी लाल ब्राह्मण साकिन कापरेन मु0बि0क0 दर्ज कर रखा है जबकि इस नाम से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही कोई औचित्य है फिर भी रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जो गलत है । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी जो कि वादीगण के खाते एवं कब्जे की है के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल, बेदखल करने की कोशिश नहीं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से रावें । राजस्व रिकॉर्ड में राहिन कौशल किशोर उर्फ ग्यारसी लाल का नाम हटाया जावे इस हेतु वादीगण के पक्ष में अधिकार घोषणा की डिक्री पारित की जावे ।

5. इसी प्रकार उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक अन्य वाद संख्या 26/2000 वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 544 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 789 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 790 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा कायम किये गये थे तथा बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 804 रकबा 1.72 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार अमरा आत्मज श्री शंकर नाई थे उनके पुत्र प्रतिवादी लटूर व रामकिशन हैं तथा पत्नी श्री पार्वती बाई है । उक्त भूमि पर वादीगण क्रम 1 से 6 के पितामह हजारी लाल जी गत 72 वर्षों से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे थे । यह भूमि सवंत् 1992 के पूर्व से ही वादीगण के पितामह श्री हजारी लाल के रहन बिल कब्ज थी । उक्त भूमि पर केचमेंट हो चुका है । केचमेंट के पूर्व यह भूमि वादीगण से ही प्राप्त की गई थी, केचमेंट के पश्चात् उक्त भूमि पर पुनः कब्जा वादीगण ने ही प्राप्त किया था । रहन मियाद बाहर हो चुका है इस आधार पर हजारी लाल व उसके बाद वादीगण के पिता व वादीगण उक्त भूमि के खातेदार हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पूर्व खातेदार ने दिनांक 23 दिसम्बर 1945 को 308/– रूपये पोने तेरह आने की एवज में वादीगण के पितामह को बेचान कर कब्जा संभला दिया था । उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी हजारी लाल व उनके वारिस खातेदार बन चुके हैं । राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण को खातेदार अंकित किया हुआ है । उक्त गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं ।

6. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें, उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर लें तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 156/97 एवं संख्या 26/2000 दोनों को समेकित करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 के द्वारा वाद संख्या 156/97 को डिक्री करते हुए वाद संख्या 26/2000 को खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण न कर सरसरी तौर पर वादीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए वाद संख्या 156/97 को डिक्री करने में त्रुटि की है । वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जे के बाबत् किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया बल्कि केवल मात्र जमाबन्दी पेश की है । जमाबन्दी के आधार पर वादीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए अपीलान्ट का नाम बतौर मु0 बि0 क0 हटाये जाने का आदेश पारित किया है । प्रतिवादी अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य से भलि–भांति प्रमाणित कर दिया था कि वादग्रसत आराजी पर अपीलान्ट एवं उनके पूर्वज काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार अमरा ने उक्त भूमि अपीलान्टगण के पूर्वज मृतक हजारी को दिनांक 23.12.1945 को 308/– रूपये पोने तेरह आने में नियमानुसार बेचान कर दिया तब से अपीलान्ट के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट के पिता एवं अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में रसीदात सिंचाई विभाग नं0 24, 30, 08, 44, 19, 48, 24, 32 रसीदात लगान नं0 00028, 0016, 0043, 0036, 00032, 00006, 00030, 043, 045, 0000045, 29 पेश की हैं । उक्त दस्तावेजात राजकीय दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्टगण के खिलाफ एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी में कौशल किशोर उर्फ ग्यारसी लाल के मु0बि0क0 के नोट को हटाने की सहायता प्रदान कर स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता मांगी गई थी । जवाब अपीलान्टगण के द्वारा पेश किया गया । एक वाद अपीलान्टगण के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया था कि अपीलान्टगण के पूर्वज हजारी लाल को वादग्रस्त आराजी दिनांक 23.12.1945 को संवत् 2002 में 308/– रूपये पोने 12 आने में स्टाम्प पर बेचान की थी परन्तु मु0बि0क0 का नोट यथावत रहा । बाद में हजारी लाल की मृत्यु के बाद उने पुत्र कौशल किशोर का नाम बतौर राहिन चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । रेस्पोडेन्टगण का इस पर कब्जा नहीं रहा है इस कारण अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । अपीलान्टगण का दावा संख्या 26/2000 और रेस्पोडेन्ट का दावा संख्या 156/1997 के साथ समेकित किया गया और दिनांक 16.11.2018 को निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण का दावा स्वीकार किया गया और अपीलान्ट का दावा त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायता मांगी थी जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा है । रेस्पोडेन्टगण का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है । नगद प्रतिभूति पर अपीलान्टगण काबिज काश्त हैं दिनांक 29.12.1997 को रस्पोडेन्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ था और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 06.01.1999 को नगद प्रतिभूति के आदेश दिये गये थे । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी नगद प्रतिभूति बाबत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश को यथावत रखा । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का वर्ष 1945 से कब्जा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से ही अपीलान्टगण इस पर काबिज हैं । इस कारण वो स्वतः ही खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । रेस्पोडेन्ट की कब्जा वापस प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । केचमेंट के बाद भी कब्जा लटूर को नहीं दिया गया । अपीलान्ट के द्वारा 09 गवाहों के बयान कराये गये हैं जो डीडब्ल्यू–1 से डीडब्ल्यू–9 पत्रावली पर संलग्न हैं । अपीलान्ट द्वारा 32 दस्तावेज प्रदर्श करवाए गये हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी तनकी के विवेचन में किसी भी दस्तावेज का विवेचन नहीं किया और न ही मौखिक साक्ष्य का विवेचन किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । बून्दी स्टेट की पानडी संवत् 1999 में भी रहन का इन्द्राज हो रहा है यह अंकन बून्दी स्टेट लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अंतिम एवं निर्णायक है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । विकास कार्य के पश्चात् आराजी का कब्जा प्रतिवादी की माता कान्ति बाई को दिया गया । रहन मुक्ति का दावा अवधि बाधित हो चुका है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी अपीलान्ट खातदेार हो गये हैं । अमरा और रामकिशन का संयुक्त परिवार जिसका कर्ता अमरा था । अमरा ने बहैसियत कर्ता आराजी का बेचान किया था । लटूर वगै0 जबरन उसमें कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी लटूर ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र मौखिक गवाह एवं

दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । लगान, पिलाई की कोई रसीद पेश नहीं की गई है । कब्जा दिया गया हो यह सिद्ध नहीं किया गया है । प्रदर्श– 2 जो लटूर ने पेश किया है वह केवल नोटिस है । अपीलान्ट ने गवाहों से और दस्तावेजी साक्ष्य से अपना कब्जा सिद्ध किया है । खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी और सिंचाई विभाग में कब्जा कौशल किशोर का और उनकी मृत्यु के बाद अभय किशोर वगै0 का दर्ज है । लगान पिलाई की रसीदें पेश की हैं जिसमें भी कब्जा प्रतिवादी अभय किशोर का सिद्ध है । कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है जो दस्तावेज 30 वर्ष पुराने हैं वे धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सही माने जावेंगे । संवत् 2012 में जो आराजी पर काश्त कर रहे हैं वही खातेदार हो जावेंगे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पहले यह प्रावधान था कि 20 साल में आराजी स्वतः ही रहन मुक्त हो जावेगी । वर्तमान में यह 05 साल कर दी गई है चूँकि रहन पुराना है इसलिए 20 वर्ष की मियाद लागू होगी । संवत् 1985 से 20 वर्ष पश्चात् अर्थात् 2005 में भूमि को रहनमुक्त की मियाद समाप्त हो चुकी है । धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लटूर को 12 वर्ष के अन्दर कब्जा प्राप्त करने का दावा करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । प्रदर्श– 20 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व का बेचाननामा है धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सही माना जावेगा । इस दस्तावेज का खण्डन वादी लटूर ने नहीं किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2014 डीएनजे (4) पेज 1554, 2006 आरएलआर (1) पेज 525, 2016 डीएनजे (1) पेज 16, 1993 आरआरडी पेज 178, 2013 आरएलडब्ल्यू (4) पेज 3309, आरआरडी 1990 पेज 105, आरआरडी 1989 पेज 634, आरआरडी 1988 पेज 52, आरआरडी 1983 पेज 240, आरआरडी 2003 पेज 274, आरआरडी 1990 पेज 629, एआईआर 1966 (एससी) पेज 1721, आरआरडी 2009 पेज 33, आरआरडी 2008 पेज 10, आरआरडी 2009 पेज 83, 90, एआईआर 2003 पेज 1905, आरआरडी 1969 पेज 213, आरएलडब्ल्यू 1981 पेज 217, 2007 डीएनजे (3) पेज 1712, 2013 डीएनजे (एससी) पेज 948 उद्धरत की ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक रेस्पोडेन्ट हैं । अपीलान्ट के पास आराजी रहन रखी गई थी परन्तु रहन की अवधि धारा 43 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार 20 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है उसके बाद अपीलान्ट की स्थिति अतिक्रमी की हो जाती है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और केचमेंट के उपरान्त कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभला दिया गया था। वर्तमान में कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार निहित नहीं हैं । रहन स्वतः ही 20 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री कर अपीलान्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी लटूर ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49 प्रदर्श– 1, नकल नोटिस अस्थायी अधिग्रहण बाबत् प्रदर्श– 2 पेश किये हैं ।

15. प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2007–10 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2042–45 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत्

2046–49 प्रदर्श–4, नकल पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–5, नकल सालाना खसरा गश्त मौका संवत् 2002 प्रदर्श–6, नकल सालाना खसरा गश्त मौका संवत् 2005 प्रदर्श–7, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–8, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2032 प्रदर्श–9, सिंचाई विभाग की रसीद प्रदर्श– 10, सिंचाई विभाग की खतौनी प्रदर्श–11, सीएडी भूमि पुनः अधिग्रहण हेतु नोटिस प्रदर्श–12, महकमा बन्दोबस्त पानडी प्रदर्श– 13, भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा लागन प्रदर्श–14, नकल खाता प्रदर्श– 15, रसीद सिंचाई विभाग प्रदर्श– 17 से 19, असल तहरीर प्रदर्श– 20, नकल जमाबन्दी संवत् 1995 से 2015 प्रदर्श– 21, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2055 प्रदर्श– 22, नोटिस की प्रति प्रदर्श– 23, डाक विभाग की रसीदें प्रदर्श– 24 से 27, सिंचाई विभाग की रसीदें प्रदर्श– 28, 29, 30, नकल जमाबन्दी संवत् 2001–04 प्रदर्श–31 और नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2030 प्रदर्श–32 पेश किये गये हैं ।

16. वादी की ओर से बयान लटूर पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

17. प्रतिवादी की ओर से बयान अभय किशोर डीडब्ल्यू–1, कान्ति देवी डीडब्ल्यू–2, गोपाल डीडब्ल्यू– 3, चौथमल आत्मज गणेश, छोटू लाल डीडब्ल्यू–4, शिवकरण डीडब्ल्यू–5, जयलाल डीडब्ल्यू–6, रामनारायण डीडब्ल्यू–7, नाथू सिंह डीडब्ल्यू–8 कराये गये हैं ।

18. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय में कुल 05 तनकीयात कायम की गई हैं और किसी भी तनकी के विवेचन में पेश किये गये दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना एंव विश्लेषण नहीं किया गया है । बिना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना किये किसी भी तनकी का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने एवं त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/610 एवं 18/611 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.11.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर सीपीसी के प्रावधानों की पालना करते हुए पेश किये गये दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21-8-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा